2012/00227

निर्णय ब–इजलास जगरूप सिंह यादव, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 110/2012 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

सरकार जरिये प्रहलाद मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स बाबूलाल दूध एवं मिष्ठान भण्डार, मकान नम्बर 4806, कुन्दीगर भैरू का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर।
2. श्री रोहित अग्रवाल पुत्र श्री श्रवण कुमार, निवासी 3753, कुन्दीगर भैरू का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर मालिक फर्म।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 13.300 किलोग्राम व एक रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

जिला कलक्टर जयपुर जिला जयपुर

निर्णय दिनांक 11-11-2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 27.10.2012 को जिला रसद अधिकारी जयपुर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलण्डरों का वाणिज्यक दुरूपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर बरामराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ मैसर्स बाबूलाल दूध एवं मिष्ठान भण्डार, मकान नम्बर 4806, कुन्दीगर भैरू का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर की जांच की गई। वक्त जांच मौके पर श्री रोहित अग्रवाल पुत्र श्री श्रवण कुमार उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं को फर्म का मालिक होना अवगत कराया। फर्म द्वारा मिठाई आदि बनाकर विक्रय करने का कार्य किया जाता है। निरीक्षण के दौरान 01 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. एसआर नम्बर 295238 रेग्यूलेटर के माध्यम से भट्टी से जुडा पाया गया जिस पर मावा तैयार किया जा रहा था तथा जांच के दौरान दुकान के अन्दर एक और घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. एसआर नम्बर 591448 रखा पाया गया। मौके पर भट्टी को बंद करवाकर सिलेण्डर को अलग रखवाया गया। फर्म मालिक द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। मौके पर मैसर्स खण्डेलवाल गैस एजेन्सी जयपुर के प्रतिनिधि श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रामकुंवार शर्मा को सॉल्टर मशीन के साथ बुलाकर उक्त 02 गैस सिलेण्डरो का तौल कराया गया जिस पर सिलेण्डरों में 13.300 किलोग्राम शुद्ध एल.पी.जी. पाई गई तथा एल.पी.जी. गैस होने की पुष्टि की गई। फर्म मालिक द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यक दुरूपयोग कर कालाबाजारी में सिलेण्डर क्रय

कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलू सिलेण्डर आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 13.300 किलोग्राम व 1 रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को जब्त किया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से मैसर्स खण्डेलवाल गैस एजेन्सी जयपुर के प्रतिनिधि श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रामकुंवार शर्मा, निवासी टीकमपुरा, पोस्ट भानपुर कलां, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर की सुपुर्दगी में दिये गये। इस जब्तशुदा घरेलू सिलेण्डर 02 घरेलू सिलेण्डर आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 13.300 किलोग्राम व 1 रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी. जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 08.11.2012 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री निहालचंद ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस हेतु नियत पेशी पर अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली में बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

3. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि निरीक्षण के दौरान दुकान में 02 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. पाये गये जिनमें से 01 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. एसआर नम्बर 295238 रेग्यूलेटर के माध्यम से भट्टी से जुडा पाया गया जिस पर मावा तैयार किया जा रहा था तथा जांच के दौरान दुकान के अन्दर एक और घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. एसआर नम्बर 591448 रखा पाया गया। फर्म मालिक द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये। घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू सिलेण्डर का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर कालाबाजारी कर सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 02 घरेलू सिलेण्डर आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 13.300 किलोग्राम व 1 रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर
जयपुर

4. हमने पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 27.10.2012 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

5. घरेलू गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाते है जिनका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद मौके पर दौराने निरीक्षण रेस्टोरेन्ट में 02 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. पाये गये जिनमें से एक घरेलू गैस सिलेण्डर

आई.ओ.सी. एसआर नम्बर 295238 रेग्यूलेटर मय रबड पाईप के माध्यम से भट्टी से जुडा पाया गया जिस पर मावा बनाने का कार्य किया जा रहा था तथा दुकान के अन्दर एक और घरेलू सिलेण्डर आई.आई.सी. रखा पाया गया। जिससे घरेलू गैस का वाणिज्यिक उपयोग किये जाने की पुष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्त शुदा 02 घरेलू सिलेण्डर आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 13.300 किलोग्राम व 1 रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 02 घरेलू सिलेण्डर आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 13.300 किलोग्राम व 1 रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 08.11.2012 को पारित किये जा चुके है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।
7. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।
8. निर्णय आज दिनांक 11-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर